भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2937

12 माच, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष आरोग्य कद्र

2937. श्री ए. नारायण स्वामी:

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने का कृपा करगे किः

(क) क्या आयुष आधारित आरोग्य सेवाओं वाले गंतव्यों का तलाश कर रहे संभावित यात्रियों को आकर्षित करने के लिए सरकार किसी ठोस उपाय पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयुष पर आधारित ऐसी आरोग्य सेवाओं का गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किया जा रहे ह;

(घ) क्या आयुवद चिकित्सा उत्पादन के क्षेत्र म सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता देने का कोई उपाय विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह?

उत्तर

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क): जी, हां।

(ख) और (ग): मंत्रालय ने आयुष आधारित चिकित्सा पयटन के संवधन हेतु चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए चिपयन सेवा क्षेत्र स्काम के तहत आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल/डे केयर कद्रों की स्थापना के लिए एक स्काम विकसित का है। निजी निवेशकों को आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों/डे केयर कद्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ब्याज सब्सिडी के रूप म वित्तीय सहायता मुहैया की जाएगी। ये अस्पताल और डे केयर कद्र अंतराष्ट्रीय रोगियों/ पयटकों सहित सभी आगंतुकों का आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचया सेवाएं प्रदान करगे। इन अस्पतालों/डे केयर कद्रों को भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएसएच) के अनुसार स्थापित किया जाएगा और गुणवत्तायुक्त तथा प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एक वष के भीतर इनको एनएबीएच प्रत्यायन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(घ): जी हां।

(ड.): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) और आयुष मंत्रालय ने आयुष उद्यमों के संवधन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ह। आयुष मंत्रालय ने एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों का लाभ प्राप्त करने के लिए एमएसएमई के उद्यम पंजीकरण पोटल पर अपने को पंजीकृत करवाने के लिए आयुवद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषध विनिमाता एसोसिएशन को पत्र लिखा है। समझौता ज्ञापन के तहत दोनों मंत्रालयों ने देश के विभिन्न भागों म उद्यमवृत्ति विकास कायक्रमों को भी संचालित किया है।

*****